


राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वारा-2018

क्रमांक कैम्प/ग्राम पंचायत सम्बल 183
दिनांक 21/5/18 सी. TD/RJMR प्राथमिक
पत्र भेजकर लेख है कि प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार
आवश्यक कार्यवाई कर पालना रिपोर्ट अतिरिक्त भिजवाये।


साधु प्रमोदी
जयपुरासमगाड़ जिला जयपुर
राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वारा-2018"

क्रमांक : कैम्प स्थल सापपुरा
दिनांक 21-05-2018
पटवारा हल्का सापपुरा
को मूल प्रा. प. भेजकर लेख है कि प्राथमिक
पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर प्रकरण का
फाँके पर ही नियमानुसार निरस्तारण कर पालना
रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


तहसीलदार (मु.अ.)
जयपुरासमगाड़

श्रीमान् श्री,
ग्राम-चाकण कामण
के आवधिक ख.नं 340, 374,
381, 382, 383 बिदा 5 ख.नं 9111)

ख.नं 480, 481, 482,
482, 483, 509, 510 बिदा
ख.नं 4-96 ख.नं 4-97

नाम मिशोर पुत्र सुकचन्द
दुर्ज ही जाची मिशोर के
स्थान पर राममिशोर मखान
चाकण ही मजम आम में
की जातवारी है अतः

मु.नं-25/2018

उपदान - रामकिशोर कामण सरफा

आदेश दि. 21/5/18

मुताबिक तहसीलदार जयपुरासमगाड़
की रिपोर्ट के अनुसार जांच
आरिजापानों में जाची का माक
किशोर के बलाय रामकिशोर
दुर्ज करके के आदेश तहसीलदार
जयपुरासमगाड़ को दिख जाते हैं।
तदनुसार तहसीलदार जयपुरासमगाड़
राजस्व रिकार्ड में अंकित करेंगे।


उपसमिति अधिकारी
जयपुरासमगाड़